रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1973/श्रावण 10, 1895

No. 184] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1973/SRAVANA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st August 1973

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the said Act shall come into force in the State of Andhra Pradesh.

[No. F. 11014/3/72-FRY/WLF.]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1973

सा०का०नि० 371 (अ).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा

राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को ऐसी तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवृत्त होगा ।

[संख्या फा० 11014/3/72–एफ० आर० वाई०/डब्ल्यू०एल०एफ०]

G. S. R. 372 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a), sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Wild Life (Stock/Declaration) Rules, 1973.

(2) They shall extend to the whole of the State of Andhra Pradesh,

(3) They shall come into force on the 1st August, 1973.

2. **Declaration by manufacturer of, dealer or taxidermist in, animal article etc.**—Every manufacturer of, or dealer in, animal article or every dealer in captive animals, trophies or uncured trophies or every taxidermist shall, within fifteen days from the commencement of the Wild Life (Protection) Act, 1972 declare as required by sub-section (2) of section 44 of the said Act his stocks of animal articles, captive animals, trophies and uncured trophies, as the case may be, as on the date of such declaration to the Cheif Wild Life Warden in the form given below.

FORM

(*See* rules 2)

Form of Declaration

To

The Chief Wild Life Warden,
State of Andhra Pradesh.

1. Full name and address of the manufacturer/dealer/taxidermist making the declaration.

2. Actual stock held on the date of declaration in animal articles.

(i) Description including name of animal from which derived.
(ii) Number.
(iii) Dimension or weight.
(iv) Premises where kept.

3. Actual stock held on the date of delaration in captive animals.

(i) Species and sex.
(ii) Number.
(iii) Adult or juvenile.
(iv) Premises where kept.

4. Actual stock held on the date of declaration in trophies.

(i) Description including specie of animal.
(ii) Number.
(iii) Dimension or weight.
(iv) Premises where kept.

5. Actual stock held on the date of declaration in uncured trophies.

(i) Description including specie of animal.
(ii) Number.
(iii) Dimension or weight.
(iv) Premises where kept.

6. Remarks, if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the person making declaration.

Date.....

Place —————————

[No. F.11014/5/72-FRY/WLF]

सा०का०नि० 372 (**अ**).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य प्राणी (स्टाक–घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर है ।

(3) ये 1–8–1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **जान्तव वस्तु आदि के विनिर्माता, व्यापारी या चर्म प्रसाधक द्वारा घोषणा**.—जान्तव वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यापारी अथवा पकड़े गए पशुओं, ट्राफियों या असंसाधित ट्राफियों का प्रत्येक व्यापारी अथवा प्रत्येक चर्म प्रसाधक, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित मुख्य वन्य–प्राणी वार्डन को, यथास्थिति जान्तव वस्तुओं, पकड़े गए पशुओं, ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों के अपने स्टाक की जैसा कि यह घोषणा की तारीख को हो, घोषणा नीचे दिए गए प्ररुप में करेगा ।

प्ररूप

(नियम 2 देखिए)

घोषणा का प्ररूप

सेवा में,

मुख्य वन्य प्राणी वार्डन,

आंध्र प्रदेश राज्य ।

1. घोषणा करने वाले विनिर्माता/व्यापारी/चर्मप्रसाधक का पूरा नाम और पता ।

2. जान्तव वस्तुओं की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(i) वर्णन, जिस में उस पशु का, जिससे प्राप्त हुआ, नाम सम्मिलित हो ।

(ii) संख्या ।

(iii) बिमा या भार ।

(iv) परिसर जहां रखा गया हो ।

3. पकड़े गए पशुओं की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(i) जाति और लिंग ।

(ii) संख्या ।

(iii) वयस्क या किशोर ।

(iv) परिसर जहां रखा गया हो ।

4. ट्राफियों की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(i) वर्णन, जिस में पशु की जाति सम्मिलित हो।

(ii) संख्या ।

(iii) विमा या भार ।

(iv) परिसर जहां रखा गया हो।

5. असंसधित ट्राफियों की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक—

(i) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो।

(ii) संख्या ।

(iii) विमा या भार ।

(iv) परिसर जहां रखा गया हो।

6. टिप्पणियां, यदि कोई हों।

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

[सं० फा० 11014/5/72-एफ० आर० वाई०/डब्ल्यू० एल० एफ]

G.S.R. 373(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1973.

(2) They extend to the whole of State of Andhra Pradesh.

(3) They shall come into force on the 1st August, 1973.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "Licensee" means a licensee under Chapter V of the Act;

(d) "Officer" means the Chief Wild Life Warden or any other officer which the State Government may, for the purposes of these rules, by notification in the Official Gazette, appoint;

(e) "specified animal" means any animal which is specified in Schedule I, or Part II of Schedule II, to the Act and which is—

(i) captured or kept or bred in captivity, or

(ii) found wild in nature.

3. **Acquiring, receiving, or keeping specified animal, etc., in control, custody or possession or put under process of taxidermy or make animal article, etc.**—(1) No licensee shall—

(i) acquire, receive, keep in his control, custody or possession any specified animal or any animal article, trophy, uncured trophy or meat derived therefrom, or

(ii) put under a process of taxidermy or make animal article containing part or whole of such animal, except with the previous permission of the Officer.

(2) Every application for such permission shall be made in Form I.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Officer may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of fifteen days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permission:

Provided that no such permission shall be granted unless the Officer is satisfied that the specified animal or animal article, trophy, uncured trophy or meat, referred to in sub-rule (1), has been lawfully acquired.

(4) Where the Officer refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the licensee applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form II.

4. **Submission of report of stocks.**—(1) Every licensee to whom permission has been granted under sub-rule (3) of rule 3 shall submit to the Officer who had granted the said permission, a report regarding the stocks of specified animal or animal article, trophy, uncured trophy or meat, referred to in sub-rule (1) of rule 3, in Form III, within a period of seven days of the acquisition, receipt or keeping of the same in his control, custody or possession.

(2) The Officer, after receiving such report may arrange to affix identification marks on such stocks.

5. **Sale of specified animal, etc.**—(1) No licensed dealer shall sell or offer for sale any specified animal or any animal article, trophy or uncured trophy derived therefrom, except to a person authorised to purchase by a permission granted by the Officer and where the sale is effected the purchaser shall surrender the permission to the licensed dealer.

(2) Every application for permission to purchase shall be made in Form IV.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Officer may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of ten days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permission.

(4) Where the Officer refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the persons applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form V.

(6) Every permission granted under sub-rule (3) shall be valid up to a period of one month from the date of issue of the same.

(7) Every licensed dealer, at the time of each sale, issue a voucher in relation to the specified animal or animal article, trophy or uncured trophy, referred to in sub-rule (1), to the person authorised to purchase.

(8) Each voucher shall contain the following particulars, namely:—

(a) Date of issue of voucher;

(b) The amount of price realised or to be realised;

(c) Name and address of the licensed dealer issuing the voucher;

(d) Name and address of the person to whom the voucher is issued;

(e) Permission number of the person authorised to purchase;

(f) Description of the specified animal/animal article/trophy/uncured trophy derived therefrom and number;

(g) Whether such specified animal/animal article/trophy/uncured trophy was/were required to be declared under section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and if so, whether it/they has/have been declared;

(h) Signature of the licensed dealer issuing the voucher;

(i) Signature of the person to whom the voucher is issued.

6. **Taxidermy or making animal article.**—(1) Every licensed taxidermist or licensed manufacturer shall, at the time of returning the trophy or animal article, issue a voucher to the owner of the said trophy or animal article.

(2) Each voucher shall contain the following particulars, namely:—

(a) Date of issue of voucher;

(b) Charges realised or to be realised;

(c) Name and address of the licensed taxidermist/manufacturer issuing the voucher;

(d) Name and address of the person to whom the voucher is issued;

(e) Description of the trophy/animal article and number;

(f) Whether uncurred trophy/trophy/animal article was required to be declared under section 40, or section 44, of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and if so, whether it/they has/have been declared;

(g) Signature of the licensed taxidermist/manufacturer issuing the voucher.

7. **Maintenance of vouchers.**—(1) The voucher referred to in rule 5 or rule 6 shall be in triplicate and serially numbered.

(2) The duplicate and the triplicate copy of the voucher shall be retained by the licensed dealer, licensed taxidermist or licensed manufacturer and the original copy of the voucher shall be given to the person referred to in sub-rule (7) of rule 5 or sub-rule (1) of rule 6.

(3) Every book containing blank vouchers shall be presented to the Officer for affixing his initials or stamps on such book before it is brought into use.

(4) (a) Every licensed dealer, licensed taxidermist or licensed manufacturer shall send, in monthly batches not later than the seventh day of every month, the duplicate copies of vouchers retained by him, to the Officer.

(b) Every permission surrendered to a licensed dealer at the time of sale shall also be enclosed along with the duplicate copies aforesaid.

8. **Transport of specified animal, etc.**—(1) No licensee shall trasport from one place to another within the State any specified animal, animal article, trophy or uncurred trophy derived, therefrom, except with the previous permission of the Officer.

(2) Every application for such permission shall be made in Form VI.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Officer may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of seven days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permission:

Provided that no such permission shall be granted unless the Officer is satisfied that the specified animal or animal article, trophy or uncurred trophy referred to in sub-rule (1), has been lawfully acquired.

(4) Where the Officer refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the licensee applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form VII.

9. **Appeal.**—(1) Any licensee or a person aggreived by an order made by the Chief Wild Warden or any other officer granting the permission under sub-rule (3) of rule 3; sub-rule (3) of rule 5 or sub-rule (3) of rule 8, may prefer an appeal,—

(i) if the order in made by an officer other than the Chief Wild Life Warden, to the Chief Wild Life Warden, or

(ii) if the order is made by the Chief Wild Life Warden, to the State Government.

(2) In the case of an order passed in appeal by the Chief Wild Life Warden under clause (i) of sub-rule (1), a second appeal shall lie to the State Government.

(3) No appeal shall be entertained unless it is preferred within fifteen days from the date of the communication to the applicant of the order appealed against:

Provided that the appellate authority may admit any appeal after the expiry of the period aforesaid, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preparing the appeal in time.

(Here please insert Form I to VII)

[No. F. 11014/5/72-FRY/FLF.]

K. L. LAHIRI,

I.G. Forests & Ex-officio Addl. Secy.

FORM I

[*See* sub-rule (2) of rule 3]

Application for permission to acquire, receive, keep specified animal, animal article etc. or put under process of taxidermy or make animal article

To

The

Sir,

I, ..., residing at Taluk ———— District and holding licence No, ..., granted under section 44(4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), request that I may be granted permission to acquire/receive/keep in my control/custody/possession specified animal/animal article/trophy/uncured trophy/ meat derived from specified animal and/or put under process of taxidermy/make animal article containing part/whole of such animal.

2. I furnish below the particulars in relation to such specified animal/animal article/trophy/uncured trophy/meat:—

(1) Species of animal.

(2) Number.

(3) Description (including sex, if possible).

(4) Source from which to be obtained,—

(i) Address and Licence Number, if any.

(ii) Whether declaration made/permission/licence obtained under sections 40, 43, or 44, of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and if so the particulars:

(5) Particulars of certificate of ownership.

(6) Identification mark, if any.

(7) Premises in which intended to be kept.

(8) Purpose for which to be acquired/received/kept in control/custody/possession.

(9) If to be put under process of taxidermy or to make animal articles—

(a) Number of the trophies/articles to be made.

(b) Description of such trophies/articles.

(c) To whom they will be returned.

(d) Probable date within which they will be so returned.

3. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature of the applicant.

Strike out whichever is not applicable.

FORM II

[*See* sub-rule (5) of rule 3]

Permission to acquire, receive, keep in control, custody or possession specified animal or animal article etc. or put under process of taxidermy or make animal article

Shri, holding licence No., granted under section 44(4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), is hereby permitted to acquire, to keep under his control/custody/possession specified animal/animal

article/trophy/uncured trophy/meat derived from specified animal, of the following description, or put under process of taxidermy or make animal article containing part or whole of such animal:

(1) Species of animal.

(2) Description (including sex, if given in the application).

(3) Number.

(4) Source from which to be obtained.

(5) Licence/Permission Number of the source from which to be obtained.

(6) Particulars of certificate of ownership.

(7) Identification mark, if any.

(8) Premises in which to be kept.

(9) Purpose for which permitted to acquire/receive/keep in control/custody/possession.

(10) If permitted to put under process of taxidermy or to make animal article,—

(a) Number of the trophies or articles to be made.

(b) Description of such trophies or articles.

(c) To whom they should be returned.

(d) Probable date within which they would be returned.

Issued by me this day of

Signature of ————————

Designation————————

Seal:
Place:
Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM III

[*See* sub-rule (1) of rule 4]

Report of stocks

To

The

1. Full name, address and licence Number of the licensee.

2. Stock held on the date of report in specified animals.

(a) Species and sex.

(b) Number.

(c) Adult or Juvenile.

(d) Premises where kept.

3. Stock held on the date of report in animal articles.

(a) Description, including specie of animal from which derived.

(b) Number.

(c) Dimension or weight.

(d) Premises where kept.

4. Stock held on the date of report in trophies.

(a) Description, including specie of animal from which derived.

(b) Number.

(c) Dimension or weight.

(d) Premises where kept.

5. Stock held on the date of report in uncured trophies.

(a) Description, including specie of animal from which derived.

(b) Number.

(c) Dimension or weight.

(d) Premises where kept.

6. Remarks, if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the person making declaration

Place:

Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM IV

[*See* sub-rule (2) of rule 5]

Application for permission to purchase specified animal, etc.

To

The

Sir,

I/We residing at Taluk District, request that I/we may be granted permission to purchase specified animal/animal article/trophy/uncured trophy derived from specified animal of the following description, from a licensee:—

(1) Number and description of—
(a) specified animal,
(b) animal article,
(c) trophy,
(d) uncured trophy.

(2) Purpose for which the purchase is to be made.

3. I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature(s) of the applicant(s).

Place:
Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM V

[*See* sub-rule (5) of rule 5]

Permission to purchase specified animal, etc.

S/Shri of is/are hereby permitted to purchase specified animal/animal article/trophy/uncured trophy derived from specified animal of the following description from for the purpose of

Number and description of—

(a) specified animal,
(b) animal article,
(c) trophy,
(d) uncured trophy.

Issue by me this day of

Signature

Designation

Seal:

Place:

Date:

NOTE.—This permission shall be valid upto a period of one month from the date of issue.

Strike out whichever is not applicable.

FORM VI

[*See* sub-rule (2) of rule 8]

Application for permission to transport specified animal, etc.

To

The

Sir,

I,.....residing at.....Taluk.....District....., and holding licence No.....grant under section 44(4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), request that I may be granted permission to transport the following:—

(1) Species of specified animal or from which the animal article/cured trophy/uncured trophy in derived.

(2) Number.

(3) Description (including sex if possible).

(4) Identification mark, if any.

(5) Source of procurement and the Licence/Permission Number.

(6) Certificate of ownership, if any.

(7) Mode of Transport.

(8) Route.

(9) Period required for transport.

(10) Destination.

2. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature of the applicant.

Place:

Date:

Strike out whichever is not applicable.

FORM VII

[*See* sub-rule (5) of rule 8]

Permission to transport specified animal, etc.

Shri holding licence No., granted under section 44(4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) is hereby permitted to transport in the manner prescribed below specified animal/animal article/cured trophy/uncured trophy derived from specified animal, from..... to.....

(i) Mode of transport.

(ii) Route.

(iii) Period allowed for transport.

(iv) Remarks.

Issued by me this day of

Signature.....

Designation.....

Seal:
Place:
Date:

Strike out whichever is not applicable.

[No. F. 11014/5/72-FRY/WLF]

K. L. LAHIRI,

I.G. Forests & Ex-officio Addl. Secy.

सा० का० नि० 373 (**अ**).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (**ख**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम वन्य प्राणी (सव्यवहार और चर्मपूरण) नियम, 1973 है ।

(2) इनका विस्तार आंध्र प्रदेश के सम्पूर्ण राज्यों पर है ।

(3) ये 1-8-1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररुप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ग) "अनुज्ञप्तिधारी" से अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिकारी' से मुख्य प्राणी संरक्षण या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इन नियमों के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, अभिप्रेत है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट जीवजन्तु" से अधिनियम की अनुसूची I या II के भाग 2 में विनिर्दिष्ट कोई जीवजन्तु अभिप्रेत है और जो —

(i) पकड़ा गया या रखा गया या बन्दी स्थिति में पालित हो, या

(ii) प्रकृति में वन्य पाया गया हो ।

3. **विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि को अर्जन करना, प्राप्त करना, नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखना या चर्मपूरण की प्रक्रिया में डालने या जीव-जन्तु वस्तुएं बनाना आदि.**—(1) कोई भी अनुज्ञप्तिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, —

(i) किसी विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या किसी जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या उनसे व्युत्पन्न मांस को अर्जित नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में नहीं रखेगा, अथवा

(ii) चर्मपूरण की प्रक्रिया में नहीं डालेगा या जीवजन्तु वस्तु, जिसमें ऐसे जीवजन्तु का कुछ या समस्त भाग अन्तर्विष्ट है, नहीं बनाएगा ।

(2) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 में किया जाएगा ।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की, प्राप्ति पर अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसी अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि अधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस वैध रूप से अर्जित किया गया है ।

(4) यदि अधिकारी अनुज्ञा देने से इन्कार कर देता है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञा के लिए आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे लेखबद्ध कारणों की एक प्रति भेजी जाएगी ।

(5) उप-नियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्ररूप 2 में होगी ।

4. **स्टाक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना.**—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी जिसको नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई हो, अधिकारी को, जिसने उक्त अनुज्ञा अनुदत्त की थी, नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु-वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस के स्टाक के बारे में, उनके अर्जन करने, प्राप्त करने या अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखने की सात दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) अधिकारी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे स्टाक पर शनाख्त चिह्न लगाने की व्यवस्था कर सकेगा ।

5. **विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि का विक्रय.**—(1) कोई भी अनुज्ञप्त व्यौहारी कोई विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या कोई जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या उन से व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी, उस व्यक्ति के सिवाय जो अधिकारी की अनुज्ञा द्वारा क्रय करने के लिये प्राधिकृत हो, और जहां विक्रय कर दिया गया हो वहां तेजी उस अनुज्ञा को अनुज्ञप्त व्यवहारी की अभ्यर्थित कर देगा ।

(2) क्रय की अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 4 में किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्त पर अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा ।

(4) यदि अधिकारी अनुज्ञा देने से इन्कार कर देता है तो वह ऐसे करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे लेखबद्ध कारणों की एक प्रति भेजी जाएगी ।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्ररूप 5 में होगी ।

(6) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा उसके जारी करने की तारीख से एक मास अवधि तक विधिमान्य होगी ।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यौहारी प्रत्येक विक्रय के समय, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के बारे में क्रय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को एक वाउचर जारी करेगा ।

(8) प्रत्येक वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी अर्थात :

(क) वाउचर के जारी करने की तारीख :

(ख) वसूल की गई या की जाने वाली कीमत की रकम :

(ग) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त व्यौहारी का नाम और पता :

(घ) जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसका नाम और पता :

(ङ) क्रय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की अनुज्ञा संख्या :

(च) विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी का विवरण और संख्या :

(छ) क्या ऐसे विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु/वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 के अधीन घोषित करना अपेक्षित था, और यदि हां, तो क्या वह/वे घोषित कर दिया गया है/दिए गए हैं ।

(ज) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त व्यौहारी के हस्ताक्षर ;

(झ) जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर ।

6. **चर्मपूरण या जीवजन्तु वस्तु बनाना** .—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्त चर्मपूरण-कर्ता या अनुज्ञप्त विनिर्माता ट्राफियां या जीवजन्तु वस्तु लौटाते समय उक्त ट्राफी और जीवजन्तु वस्तु के स्वामी को एक वाउचर जारी करेगा ।

(2) हर वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

(क) वाउचर के जारी करने की तारीख :

(ख) वसूल किए गए या किए जाने वाले खर्चे :

(ग) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त चर्मपूरण-कर्ता/विनिर्माता का नाम और पता :

(घ) जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसका नाम और पता :

(ङ) ट्राफी/जीवजन्तु वस्तु का विवरण और संख्या :

(च) क्या असंसाधित ट्राफी/ट्राफी/जीव जन्तु वस्तु को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 40 या धारा 44 के अधीन घोषित करना अपेक्षित था, और यदि हां, तो क्या वह/वे घोषित कर दिया गया है/दिए गए हैं :

(छ) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्त चर्मपूरण-कर्ता/विनिर्माता के हस्ताक्षर :

7. **वाउचरों का रखा जाना** .—(1) नियम 5 या नियम 6 में निर्दिष्ट वाउचर तीन प्रतियों में और क्रमांकित होगा ।

(2) वाउचर की दूसरी और तीसरी प्रति अनुज्ञप्त व्यवहारी, चर्मपूरण-कर्ता या विनिर्माता द्वारा रख ली जाएगी और वाउचर की मूल प्रति नियम 5 के उपनियम (7) या नियम 6 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी ।

(3) प्रयोग में लाने से पूर्व कोरे वाउचर वाली प्रत्येक पुस्तिका अधिकारी को, उसके आद्यक्षर या मुहर लगाने के लिए, प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) (क) प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यवहारी, चर्मपूरणकर्ता या विनिर्माता अपने द्वारा रखे गए वाउचरों की दूसरी प्रतियां, मासिक मुद्दों में, प्रत्येक मास के 7वें दिन के अपश्चात् अधिकारी को भेजेगा ।

(ख) विक्रय के समय अनुज्ञप्त व्यवहारी को अभ्यर्पित की गई प्रत्येक अनुज्ञा भी पूर्वोक्त दूसरी प्रतियों के साथ संलग्न की जाएगी ।

8. **विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि का परिवहन** .—(1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी अधिकारी की पूर्वतन अनुज्ञा के सिवाय किसी विनिर्दिष्ट जीवजन्तु, जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी को राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन नहीं करेगा ।

(2) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 6 में किया जायेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन प्राप्ति के सात दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि अधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु पर जीवजन्तु वस्तु ट्राफी या असंसाधित ट्राफी वैधरूप से अर्जित की गई है ।

(4) यदि अधिकारी अनुज्ञा देने से इन्कार करता है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और इस प्रकार लेखबद्ध किए गए कारणों की एक प्रति अनुज्ञा के लिए आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को भेजी जाएगी ।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्ररूप 7 में होगी ।

9. **अपील** .—(1) नियम 3 के उपनियम (3), नियम 5 के उपनियम (3) या नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाले मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक या अन्य किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यक्ति कोई अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में अपील कर सकता है,—

(i) यदि आदेश मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा दिया गया है तो मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक को, या

(ii) यदि आदेश मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक द्वारा दिया गया है तो राज्य सरकार को ।

(2) मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक द्वारा उपनियम (1) के खंड (i) के अधीन अपील में पारित आदेश की दशा में दूसरी अपील राज्य सरकार को की जाएगी ।

(3) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक, जिस आदेश के विरुद्ध की गई है, उस के आवेदक को संसूचित करने की तारीख से 15 दिन के भीतर वह न की गई हो :

परन्तु अपील-प्राधिकारी उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् तब कोई अपील ग्रहण कर सकता है जब उसका समाधान हो जाए कि अपील को समय पर तैयार न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक था ।

प्ररूप 1

[नियम 3 का उपनियम (2) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु; जीवजन्तु वस्तु आदि को अर्जित करने, प्राप्त करने, रखने के लिए या चर्मपूरण प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु बनाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

सेवा में,

.

श्री मानजी,

मैं निवासी

तालुक जिला

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 (4) के अधीन अनुदत

अनुज्ञप्ति सं०/संख्याएं.....का धारक हूं और निवेदन है कि मुझे/अपने/नियंत्रण/अभिरक्षा/कब्जे में के विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी/उनसे व्युत्पन्न मांस को अर्जित करने/प्राप्त करने/रखने के लिए और/या चर्मपूरण की प्रक्रिया में रखने/जीवजन्तु वस्तुएं, जिसमें ऐसे जीवजन्तु का कुछ भाग/समस्त भाग अन्तर्विष्ट है, को बनाने की अनुज्ञा दी जाए ।

2. मैं ऐसे विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी मांस के संबंध में विशिष्टियां नीचे देता हूं ।

(1) जीवजन्तु की प्रजातियां ।

(2) संख्या

(3) विवरण (नर या मादा सम्मिलित करके यदि संभव हो) ।

(4) स्रोत जहां से अभिप्राप्त किए जाएं,—

(i) पता और अनुज्ञप्ति संख्या, यदि कोई हो ।

(ii) क्या वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धाराओं 40, 43 या 44 के अधीन घोषणा की गई थी । अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की गई थी और यदि हां तो विशिष्टियां ।

(5) स्वामित्व के प्रमाणपत्र की विशिष्टियां ।

(6) शनाख्त चिह्न, यदि कोई हो ।

(7) परिसर, जिसमें रखना आशयित हो ।

(8) प्रयोजन, जिसके लिए अर्जन किया/प्राप्त किया नियंत्रण/अभिरक्षा कब्जे में रखा जाना है ।

(9) यदि चर्मपूरण प्रक्रिया में रखी जानी है या जीवजन्तु वस्तुएं बनाई जानी है तो,—

(क) ट्राफियों/बनाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या ।

(ख) ऐसी ट्राफियों/वस्तुओं का विवरण ।

(ग) वे किसको लौटाई जाएंगी ।

(घ) अधिसंभाव्य तारीख, जिसके भीतर वे लौटाई जाएंगी ।

3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 21

[नियम 3 का उपनियम (5) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु आदि को अर्जित करने प्राप्त करने, नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखने या चर्मपूरण की प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु बनाने की अनुज्ञा

श्री वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44(4) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति सं० धारी को निम्नलिखित विवरण के विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी/उनमें व्युत्पन्न मांस को अर्जित करने, अपने नियंत्रण/अभिरक्षा या कब्जे में रखने के लिए, या चर्मपूरण की प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु, जिसमें ऐसे जीवजन्तु का कुछ भाग/समस्त भाग अन्तर्विष्ट है, को बनाने के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है:—

(1) जीवजन्तु की जातियां ।

(2) विवरण (नर या मादा सम्मिलित करके यदि आवेदन में दिया गया हो)

(3) संख्या ।

(4) स्रोत जहां से अभिप्राप्त किया जाए ।

(5) स्रोत की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा संख्या जहां से अभिप्राप्त की जाए ।

(6) स्वामित्व के प्रमाणपत्र की विशिष्टियां ।

(7) शनाख्त चिह्न, यदि कोई हो ।

(8) परिसर, जिसमें रखा जाना हो ।

(9) प्रयोजन, जिसके लिए अर्जन करने/प्राप्त करने/नियंत्रण अभिरक्षा/कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है ।

(10) यदि चर्मपूरण की प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु बनाने के लिए अनुज्ञात किया गया हो तो,—

(क) ट्राफियों या बनाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या ।

(ख) ऐसी ट्राफियों या वस्तुओं का विवरण ।

(ग) वे किसको लौटाई जानी चाहिए ।

(घ) अभिसंभाव्य तारीख, जिसके भीतर वे लौटाई जाएंगी ।

मेरे द्वारा की तारीख को जारी/किया गया ।

पदाभिदान के हस्ताक्षर

मुद्रा :

स्थान :

तारीख :

जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 3

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

स्टाक की रिपोर्ट

सेवा में,

1. अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या ।

2. रिपोर्ट की तारीख को विनिर्दिष्ट जीवजन्तुओं का धारित स्टाक ।

 (क) जातियां और नर या मादा ।
 (ख) संख्या ।
 (ग) वयस्क या किशोर ।
 (घ) परिसर जहां रखे गए हैं ।

3. रिपोर्ट की तारीख को जीवजन्तु वस्तुओं का धारित स्टाक ।

 (क) विवरण, जिसमें वह जीवजन्तु की जाति जिससे वह व्युत्पन्न की गई है, सम्मिलित है
 (ख) संख्या ।
 (ग) विमा या वजन ।
 (घ) परिसर जहां रखे गए हैं ।

4. रिपोर्ट की तारीख को ट्राफियों का धारित स्टाक ।

 (क) विवरण जिसमें वह जीवजन्तु की जाति जिससे वह व्युत्पन्न की गई है सम्मिलित है ।
 (ख) संख्या ।
 (ग) विमा या वजन ।
 (घ) परिसर जहां रखे गए हैं ।

5. रिपोर्ट की तारीख को असंसाधित ट्राफियों का धारित स्टाक ।

 (क) विवरण जिसमें वह जीवजन्तु की प्रजाति जिससे वह व्युत्पन्न की गई है, सम्मिलित है ।
 (ख) संख्या ।
 (ग) विमा या वजन ।
 (घ) परिसर जहां रखे गए हैं ।

6. टिप्पणियां, यदि कोई हों ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :
तारीख :

जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 4

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि खरीदने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

सेवा में,

श्रीमान् जी,

मैं/हम निवासी
तालुक जिला
निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें अनुज्ञप्तिधारी से निम्नलिखित विवरण के विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी को खरीदने की अनुज्ञा प्रदान की जाए:—

(1) निम्नलिखित की संख्या और विवरण

(क) विनिर्दिष्ट जीवजन्तु,

(ख) जीवजन्तु वस्तु,

(ग) ट्राफी

(घ) असंसाधित ट्राफी ।

(2) प्रयोजन जिसके लिए खरीद की जानी है ।

3. मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं।करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरी/हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है ।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

जो लागू न हो उसे काट दीजिए

प्ररूप 5

[नियम 5 का उपनियम (5) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि खरीदने की अनुज्ञा

..... के सर्व/श्री को..
.....प्रयोजनों के लिए से
निम्नलिखित विवरण के विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी खरीदने के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है:—

निम्नलिखित की संख्या और विवरण—

(क) विनिर्दिष्ट जीवजन्तु,

(ख) जीवजन्तु वस्तु,

(ग) ट्राफी,

(घ) असंसाधित ट्राफी ।

मेरे द्वारा..... की तारीख को जारी किया गया ।

हस्ताक्षर

पदाभिधान

मुद्रा :

स्थान :

तारीख :

टिप्पण :—यह अनुज्ञा जारी होने की तारीख से एक मास की अवधि तक विधिमान्य रहेगी ।

जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 6

[नियम 8 का उपनियम (2) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि के परिवहन की अनुज्ञा के लिए आवेदन

सेवा में,

.....

श्रीमान्‌जी,

मैं निवासी तालुक जिला और वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) की धारा 44(4) के अधीन अनुदत्त अनु प्ति सं० धारी निवेदन करता हूं/है कि मुझे निम्नलिखित परिवहन की अनुज्ञा प्रदान की जाए :—

1. विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जिसमें से जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी व्युत्पन्न होती है, की जातियां ।
2. संख्या ।
3. विवरण (यदि संभव हो तो लिंग भी) ।
4. शनाख्त चिह्न; यदि कोई हो ।
5. उपाप्त का स्रोत और अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा सं०
6. स्वामित्व का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो ।
7. परिवहन की प्रकृति ।
8. मार्ग ।
9. परिवहन के लिए अपेक्षित अवधि ।
10. गंतव्य स्थान ।

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है ।

आवेदन के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 7

[नियम 8 का उपनियम (6) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि के परिवहन की अनुज्ञा

श्री वन्य प्राणी (संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44(4) के अधीन अनुदत अनुज्ञप्ति सं० धारी को विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/संसाधित ट्राफी/विनिर्दिष्ट जीवजन्तु से व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी को से तक नीचे विहित रीति से परिवहन के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञा दी जाती है ।

(1) परिवहन की प्रकृति ।

(2) मार्ग ।

(3) परिवहन के लिए अनुज्ञात अवधि ।

(4) टिप्पणियां ।

मेरे द्वारा की तारीख को जारी किया गया ।

हस्ताक्षर

पदाभिधान

मुद्रा :

स्थान :

तारीख :

जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

[सं० फा० 11014/5/72—एफ० आर० वाइ०/डब्ल्यू० एल० एफ०]

के० एल० लाहिड़ी,

वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973